संख्या-214/2018/487/69-1-18-48(मु0अ0-37)/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2018

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-जौनपुर की 22 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4816/40/10/छः/विविध/2017-18, दिनांक 05 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत"** वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-जौनपुर की न0पा0परि0 जौनपुर की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 22 परियोजनाओं हेतु कुल **रू0 384.41 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 192.205 लाख** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः..........2

710

http://shasanadesh.up.nic.in

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।

10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

क्रमशः.........3

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-8-803/दस-2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-214 /2018/487(1)/69-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जौनपुर।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रहमचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-215 /2018/487(1)/69-1-18-48(मु0अ0-37)/2018, दिनांक 31 मार्च, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	जौनपुर	न0पा0प0, जौनपुर	वार्ड नं 20 हरदीपुर के मो0 कोरा पट्टी में जे0एम0के0 रोड संजीव कुमार शाहू के मकान से डा0 मन्नालाल के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.18	5.09
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं 32 देवचन्दपुर के मो0 धन्नेपुर में मंशासिंह के घर से अयोध्या, रामचन्दर के घर होते हुए बहादुर बिन्द के घर होते हुए शाहगंज बाईपास चौराहे तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	21.27	10.635
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं 20 हरदीपुर के मो0 कोरा पट्टी में लाल दरवाजा मदरसा के पीछे मो0 कासिम के मकान से शकील अहमद के मकान होते हुए जावेद के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	16.65	8.325
4.	तदैव	तदैव	वार्ड नं 20 हरदीपुर के मो0 कोरा पट्टी में लाल दरवाजा [illegible] में मो0 अन्जार के मकान से जलील के मकान होते हुए लालचन्द प्रजापति के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	6.56	3.28
5.	तदैव	तदैव	वार्ड नं 08 चांदपुर के मोहल्ला चक मिर्जापुर में महेन्द्र प्रताप सिंह के मकान से अखिलेश पाण्डेय के मकान होते हुए ओमप्रकाश कनौजिया व दिनेश कनौजिया के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	20.53	10.265
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं 25 मो0 धरनीधरपुर में बांकेलाल के घर से शिवाजी मौर्चा के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	23.66	11.83
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं 25 मो0 धरनीधरपुर में स्टेशररोड पर स्व0 बहादुर सोनकर के मकान से रामसूरत के घर के पास पुलिया तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	28.31	14.155
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं 32 देवचन्दपुर में बड़ानगर चौराहा रोड पर त्रिलोकी यादव के मिठाई की दुकान से चौकिया धाम के बडे गेट तक ढक्कनदार नाली का निर्माण	4.78	2.39

http://shasanadesh.up.nic.in

			कार्य।		
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं मो0 धरनीधरपुर में कन्हईपुर में जयप्रकाश श्रीवास्तव के मकान से धनौता देवी के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	3.09	1.545
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं 25 मो0 धरनीधरपुर में शेल्टर हाउस मार्ग पर रामश्रय के घर से प्रेमचन्द्र के घर होते हुए नेबूलाल मौर्या के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	22.30	11.15
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं 32 देवचन्द्रपुर के मो0 धन्नेपपुर में शाहगंज बाईपास से चौकियां सब्जी मण्डी मार्ग पर राजेश किराना स्टोर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.78	7.89
12	तदैव	तदैव	वार्ड 20 मो0 कोरा पट्टी में डा0 मन्नालाल के घर से पंचायत भवन तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.45	5.725
13	तदैव	तदैव	वार्ड 20 मो0 कोरा पट्टी में मीसम अली के मकान के पास कुएं से अब्बास की दुकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	20.13	10.065
14	तदैव	तदैव	वार्ड 20 मो0 कोरा पट्टी में लाल दरवाजा नमाजगाह में लालचन्द्र प्रजापति के घर से राम लुटावन, बाबूराम, सोनू के घर होते हुए राजदेव प्रजापति के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	23.47	11.735
15	तदैव	तदैव	वार्ड 20 मो0 कोरा पट्टी में लाल दरवाजा नमाजगाह में [illegible]पुर में हाजी तैयब के मकान से जलीस अहमद, मुन्ना के महान होते हुए मस्जिद तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	23.89	11.945
16	तदैव	तदैव	वार्ड 20 मो0 खनपट्टी में प्यारे निषाद के दुकान से शत्रुघन निषाद के मकान होते हुए संतोष मिश्रा के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.50	8.75
17	तदैव	तदैव	वार्ड 32 देवचन्द्रपुर के मो0 शहदाऊदपुर उर्फ काकोर कअना मौर्या बस्ती में रामजीत मौर्य के घर से प्रेमजीत मौर्य के घर तक एवं राम स्वसरथ मौर्या के मकान से गणेश मौर्या के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	23.58	11.79
18	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 23 नईगंज में न्यू कालोनी में रामराज के मकान से पंकज एस0एस0लाल ओमप्रकाश चौबे के घर होते हुए ओमकारनाथ के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.89	7.445
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 23 नईगंज में न्यू कालोनी में कमलेश मिश्रा के मकान से रामकिशुन प्रजापति के मकान	10.58	5.29

http://shahganjdesh.up.nic.in

			होते हुए जयश्री के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।		
20	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 32 देवचन्द्रपुर के लखनपुर सम्पर्क मार्ग रघुनाथ मौर्य के घर से सुभाष मौर्य के घर होते हुए सर्वेश विश्वकर्मा के घर तक तथा दुष्यन्त की दुकान से भोला मौर्य के घर होते हुए सुरेन्द्र पाठक के घर तक एवं रमेश की दुकान से सत्तार के घर होते हुए जगदम्बा के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	25.92	12.96
21	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 के वार्ड बाजिदपुर दक्षिणी के कन्हईपुर में शशांक देव सिंह के मकान से शिव गुप्ता के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.43	2.215
22	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 25 मीरपुर के मो0 धरनीपुर में शेल्टर हाउस से शाहगंज बाईपास तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	35.46	17.73
योग				384.41	192.205

(रूपये एक करोड़ बयानबे लाख बीस हजार पांच सौ मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in